

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:--नर्सिंग / नर्स -2(F) / पी-19 / 2019 /

दिनांक.-

### आदेश

श्रीमती प्रीति रानी भारद्वाज, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सेवा नियम 8(क) एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1(3)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 15.02.2018 के अनुसरण में इनका नाम श्रीमती प्रीति रानी भारद्वाज, के स्थान पर श्रीमती प्रीति सुभाष किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती ।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:--नर्सिंग / नर्स-2(F) / पी-19 / 2019 / 815

दिनांक:- 10/6/19

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित कर्मचारी का सेवापुस्तिका में यथास्थान उक्तानुसार उपनाम संशोधित का इन्द्राज वर पालना से अवगत करावे।
2. सम्बन्धित द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर